राज्य की कार्यपालिका
State Exicutive

- राज्यपाल — 153
- मंत्रीपरिषद — 163
- महाधिवक्ता — 165

राज्यपाल

अनु॰ 153 ÷ प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा,

✓ आवश्यकता पड़ने पर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का देख रेख कर सकेगा। — 7वां C.A.A. 1956

अनु० - 154 ÷ राज्य के कार्यपालिका की शक्ति इनमे निहित होगी।

अनु० - 157 - योग्यता ÷ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल

① भारत का नागरिक हो।
② न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो।
③ लाभ के पद पर नही हो।
④ विधान सभा मे सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

अनु० -155 :- नियुक्ति :- राष्ट्रपति के द्वारा
(मंत्रीपरिषद के सलाह पर)

अनु० 156 :- कार्यकाल :-
① राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त
② सामान्यतः 5 वर्ष का
(पुंछी आयोग)
③ त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा
④ पद से हटाने की प्रक्रिया निहित नहीं है।

राज्यपाल
→ यह संघ का प्रतिनिधि
→ राज्य का प्रमुख है।

अनु०-159:- राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जायेगा।

राज्यपाल की शक्ति

(1) विधायी शक्ति :-

(1) यह विधानमण्डल का एक अंग है, जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानुन नही बनेगा।

(2) यह विधानमण्डल के सत्र को आहुत (बुलाना) और सत्रावसान करता है।
(सत्र की समाप्ति)

संसद - विधानमण्डल

सत्र - शित
बजट
मानसून

③ विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को समझ नहीं आये तो उसे राष्ट्रपति को आरक्षित करेगा
↳ अ० 200

↳ यदि विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाय तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं होगा

④ - अ० 213 : राज्यपाल का अध्यादेश :

यदि विधान मण्डल का कोई सदन सत्र में नहीं हो, तो राज्यपाल विधान मण्डल के शक्ति के बराबार अस्थायी विधि बना सकेगा जिसे राज्यपाल का अध्यादेश कहते है।

अध्यादेश की अधिकतम अवधी - 6 माह + 6 सप्ताह

२⇒ प्रशासनिक शक्ति :-

1:- राज्य के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर किया जायेगा।

2:- अ० ३५६ के तहत अपने राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकेगा।

3:- यह राज्य के महत्वपूर्ण पदों जैसे: महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यलोक सेवा आयोग, राज्यवित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, जिला० पापाधीश, मुख्य-मन्त्री तथा मंत्रीपरिषद को नियुक्ति करता है।

③ न्यायिक शक्ति :

① अनु. 161 : राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति :

① मृत्युदण्ड, सेना या SC के द्वारा दण्डित व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के दण्ड को, क्षमा, परिहार, लघुकरण और निलम्बित कर सकेगा।

② मृत्यु दण्ड पर क्षमा नहीं होगा।

मृत्युदण्ड को
↳ लघुकरण
कर सकेगा।

दण्ड के विषय –
→ मृत्युदण्ड
→ आजीवन कारावास
→ कारावास ⟨ सादा / कठोर
→ सम्पत्ति का समपहरण
→ जुर्माना